

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-1137/दो-6-2018-53(12)/99
लखनऊ: दिनांक : 28 जून, 2018
कार्यालय जाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्चा) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री शैलेश कृष्ण, से0नि0, आई0ए0एस0 को उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि कृष्ण के दिनांक 01.11.17 से 16.03.18 तक डा0 सुभाष गुप्ता, नई दिल्ली से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष रू0-71,435/- (रूपये इकहत्तर हजार चार सौ पैंतीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402-दिनांक 08 नवंबर, 2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों व उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।


3- श्री शैलेश कृष्ण का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, गोमतीनगर शाखा, लखनऊ में खाता संख्या-10070337618 तथा आई0एफ0एस0 कोड- SBIN0009916 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या- पी-001/075/070221 है तथा यह कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ से पेंशन आहरित करते है।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-1137(1)/दो-6-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम , उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- नियुक्ति(लेखा) को दो प्रतियों में मूल बिल/बाउचर्स सहित।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- श्री शैलेश कृष्ण, आई0ए0एस0, से0नि0, 4/32, विवेकखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- 7/ कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

आजा से,

(कमला सिंह यादव)
अनुसचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-1180/दो-6-2018-53(50)/2015
लखनऊ : दिनांक : २४ जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री अमित किशोर, आई0ए0एस0 को उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिमा किशोर एवं उनके स्वयं के दिनांक 04.06.2018 को डा0 डी0के0 पाठक, एटा से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः रू0-5,650/- व रू0-5,650/- अर्थात् कुल रू0-11,300/- (रूपये ग्यारह हजार तीन सौ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री अमित किशोर, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-1180(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- पंजीकृत** (1) मुख्य कोषाधिकारी, एटा को मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(4) अनुभागीय आदेश पुस्तिका/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।
(5) श्री अमित किशोर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, एटा।

संलग्नक:- यथोक्त।

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।